



2026:AHC:31187

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5631/2026

पूजा यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव शंकर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या-2-तहसीलदार, तहसील-मछलीशहर, जिला जौनपुर को वाद संख्या 11358 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या टी202514360311358) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन काफी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित होगा, जो यह अधिदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को उसे कानून के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 34 का उप-नियम (7) कहता है:—

"(7). तहसीलदार नामांतरण के अविवादित मामले को मामला दर्ज होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामांतरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को लें और कानून के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निस्तारित करें, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”